घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर--302004

क्रमांकः एफ. 14(PHED)2013 / एफसीए / प्रमुवसं / 7209 दिनांक 11-08-2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः--डायवर्जन ऑफ 0.0576 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड फोर लेइग ऑफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिंग डिपार्टमेंट सिटी डिविजन--I फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ जिन्दा चिल्ला मदार वॉटर सप्लाई (लेईग ऑफ वॉटर सप्लाई लाईन) इन अजमेर राजस्थान। (Proposal no. FP/RJ/WATER/13429/2015)

संदर्भः--राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1(49)वन / 2016 दिनांक 29.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, अजमेर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः--

क्र.स.	स्वीकृति की शर्त	बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	कोइ परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	वनभूमि का प्रयोजन पाईप लाईन बिछाने हेतु किया जावेगा।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	पालना की जावेगी।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की पूर्वानुमति नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	पालना की जावेगी।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	पालना की जावेगी।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	पालना की जावेगी।
7	प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस--पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने के कार्य नहीं किया जायेगा।	पालना की जावेगी।

घर-घर
औषधि योजना

8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	पालना की जावेगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये गये वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि (OSMFWP) (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clerence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की राशि निम्नानुसार जमा करायी गयी है। 105000/– रूपये की मांग किये जाने पर ई–चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **1,05,000/– E-Challan dt. 20/04/18** **1,74,000/– Difference Amount 22/12/22** **2,79,000/–**
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दि. 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जायेगी। जिसके उपरान्त ई–चालान की छांयाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी की छांयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	एनपीवी की राशि निम्नानुसार जमा करायी गयी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। **36183/– E-Challan dt. 20/04/18** **19177/– Difference Amount 22/12/22** **55360/–**
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

	जा सकेगा।	
13	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरनपालिका के राजकीय अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पालना की जावेगी, अंकित किया गया है। उक्त क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से भिजवायी जावेगी।

अतः पालना रिपोर्ट की मूल प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांकः एफ. 14(PHED)2013/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
2. उप वन संरक्षक, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सीधे इस कार्यालय से पत्राचार न करें। अपने संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

95

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक एफ 11(60)एफसीए/मुवसअ/2016/3354 दिनांक 25/5/18

निमित्तः—

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान—जयपुर।

विषयः—डायवर्जन ऑफ 0.0578 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर ऑफ पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट सिटी डिवीजन I फोर कन्सट्रशन ऑफ जिन्दा चिलाह मदार वॉटर सप्लाई (लेईंग ऑफ वॉटर सप्लाई लाईन) इन अजमेर।

संदर्भः—राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प1(49)वन/2016 दिनांक 29.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डायवर्जन ऑफ 0.0578 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर ऑफ पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट सिटी डिवीजन I फोर कन्सट्रशन ऑफ जिन्दा चिलाह मदार वॉटर सप्लाई (लेईंग ऑफ वॉटर सप्लाई लाईन) प्रकरण में राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प1(49)वन/2016 दिनांक 29.12.2016 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के क्रम में उप वन संरक्षक अजमेर ने अपने पत्रांक 5395 दिनांक 17.5.2018 द्वारा बिन्दूवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी गयी है। जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अक्षय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

क्रमांक एफ 11(60अ)एफसीए/मुवसअ/2016/ दिनांक

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक अजमेर को पत्रांक 5395 दिनांक 17.5.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(अक्षय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

E:\Dolat singh\PCCF.doc290

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

मांकः–एफ14( )एफसीए/उवसं/2018–19/ 5395 दिनांकः– 17-5-18

मित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषयः– डायवर्जन ऑफ 0.0578 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड फोर लेईंग ऑफ पब्लिक हैल्थ इन्जिनियरिंग डिपार्टमेंट, सिटी डिविजन–I फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ जिन्दा चिल्ला मदार वॉटर सप्लाई (लेईग ऑफ वॉटर सप्लाई लाईन) इन अजमेर राजस्थान।

संदर्भः– राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(49)वन/2016 जयपुर दिनांक 29.12.2016 के क्रम में।

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में राजस्थान सरकार वन विभाग के त्र दिनांक 29.12.2016 से शर्ताधीन स्वीकृति जारी किये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण से मांग पत्र अनुसार शि जमा कराये जाने एवं बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये जाने पर उनके पत्रांक 679 दिनांक 24.04.2018 (प्रति सलग्न) द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

क्र.सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(49) वन/2016 जयपुर दिनांक 29.12.2016 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके 679 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति मे परिवर्तन नहीं होगा।	कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का प्रयोजन पाईप लाईन बिछाने हेतु किया जावेगा।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं इनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	पालना की जावेगी।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	पालना की जावेगी।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	पालना की जावेगी।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	पालना की जावेगी।
7	प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जायेगा	पालना की जावेगी।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	पालना की जावेगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों की 10 गुणा संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी (ऑनलाईन सबमिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ फोरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस पोर्टल) द्वारा सृजित ई चालान से जमा की जावेगी।	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की राशि 105000 रूपये की मांग किये जाने पर ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।

2166
21/5/18

D/Store/FCA 2018

क्र.सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(49) वन/2016 जयपुर दिनांक 29.12.2016 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके 679 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरान्त अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एनपीवी की राशि 36183 रुपये की मांग किये जाने पर ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की धनराशि में बढ़ोतरी होती हैं तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
12	राज्य-सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं।
13	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पालना पालना की जावेगी, अंकित किया गया हैं। उक्त क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से भिजवायी जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। 2 शेट

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :- सम / दिनांक :-

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, अजमेर को उनके पत्रांक 679 दिनांक 24.04.2018 के क्रम में प्रेषित कर लेख हैं कि प्रकरण में शर्त संख्या 13 की पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें ताकि पूर्ण पालना रिपोर्ट उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

उप वन संरक्षक
अजमेर

जल ही जीवन है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

क्रमांक : अ.अ / अज / अंके 1(   ) / 17–18 / 679   दिनांक : 25/5/18.

मण्डल वन अधिकारी
वन विभाग अजमेर।

विषयः—डायवर्जन ऑफ 0.0578 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड फोर लेईग ऑफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिंग डिपोर्टमेन्ट सिटी डिविजन—I फोर कन्सट्रक्शन ऑफ जिन्दा चिल्ला मदार वॉटर सप्लाई (लेईग ऑफ वाटर सप्लाई लाईन) इन अजमेर राजस्थान।

सन्दर्भः—आपका पत्रांक प1(49)वन / 2016 दिनांक 29.12.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है सन्दर्भित पत्र द्वारा जिला अजमेर में चिल्ला जिंदा मदार में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.0578 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की अन्तिम स्वीकृति दिलवाने का श्रम करावें।

क.स.	बिन्दुवार	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	वन भूमि का प्रयोजन पाईप लाईन बिछाने हेतु किया जावेगा।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं अनके सरंक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	पालना की जावेगी।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेडों / उपलब्ध वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	पालना की जावेगी।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	पालना की जावेगी।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत	पालना की जावेगी।

	मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	पालना की जावेगी।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	पालना की जावेगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षो का पात न होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना सख्या में वृक्षों का वृक्षारोपन एवं 10 वर्षो तक रखरखाब किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OOSMFWP (Online submission & Monitoring of forest & wildlife Clearence portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी	राशि रूपये 105000 चालान न 5313429427 के द्वारा दिनांक 20.4.2018 को जमा करा दिया गया है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2 / 2010CAMPA दिनांक 9.6.2015 में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी)की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा	राशि रूपये 36183 चालान न 5313429427 के द्वारा दिनांक 20.4.2018 को जमा करा दिया गया है।

10/ 6

	सर्जित ई–चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण) प्रेषित की जाए तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सलग्न है।
12	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	पालना की जावेगी।
13	भारत सरकार के पंत्राक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	पालना की जावेगी।

संलग्न :- चालान राशि 151183/-

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
नगर खण्ड–प्रथम अजमेर

प्रति हस्ताक्षर
(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

PROFORMA

S. No.	Description	Compliance
1	Name of Regional Office	Ajmer
2	State/District/Forest Division to which the Proposal relates	Rajasthan/Ajmer/Ajmer
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम, अजमेर।
4	Extent of Forest area involved	**0.0578 Ha.**
5	Whether original or extension	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify	No
7	Date of 1st state clearance	राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(49)वन / 2016 जयपुर दिनांक 29.12.2016
8	Extent of CAMPA charges, head wise viz.	-
(a.)	Compensatory Afforestation	279680/-(105000+174680)
(b.)	Additional C.A.	-
(c.)	Penal C.A.	-
(d.)	Catchment area Tratment	-
(e.)	Wild llife Management Plan	-
(f.)	Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas	-
(g.)	Net Present Value	शर्त संख्या–10 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एनपीवी की राशि 36183 रूपये की मांग किये जाने पर ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। वर्तमान नवीन दरो दिनांक 06.01.2022 के क्रम मे बढ़ी दरो से अंतर राशि 19177/– दिनांक 15.12.2022 से द्वारा ई–चालान संख्या 5313429006 से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई गई है। कुल एनपीवी राशि 55360 रूपये जाम हुए है।
(h.)	Any other charges Levies (please specify)	शर्त सं.–9 के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की राशि 105000 रूपये की मांग किये जाने पर ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है।
(i.)	Strip Plantation on either side of the road with maintenance of 7-10 years.	–
9	Details of Bank Draft (Bank, Draft No. Date & Amount) head wise against items indicated in Paragraph 9 above	–
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance:	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में शर्त सं.9,10 की राशि 141183/–रू. **अप्रमुवसं, एफसीए जयपुर द्वारा जनरेट ई चालान द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड के कॉर्पोरेशन बैंक खाता में ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 193587 रूपये अंतर राशि के ई–चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 से जमा कराये गये है।**
11	Bank (Corporation bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of depostion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में शर्त सं.9,10 की राशि 141183/–रू. **अप्रमुवसं, एफसीए जयपुर द्वारा जनरेट ई चालान द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड के कॉर्पोरेशन बैंक खाता में ई चालान नम्बर 5313429427 दिनांक 20.04.2018 द्वारा एडहॉक कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है।प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 193587 रूपये अंतर राशि के ई–चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 से जमा कराये गये है।**
12	Any other Remarks	-

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(Ajay Chittora)
Dy. Conservator of Forest,
Ajmer

फोन नं. 0145–2628476

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)
(Email :- ee.phed@yahoo.in)

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023–24/अंके पंचम/ 1223-27 दिनांक : 22-6-2023

उप वन संरक्षक,
वन विभाग, अजमेर

विषयः– Diversion of 0.0578 hactre forest land for laying of Public Health Engineering Department City Division I Ajmer for Construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply Line In Ajmer Rajasthan Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. **Proposal No. FP/RJ/WATER/13429/2015**

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्रांक 4474 दिनांक 06.06.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दुवार पालना चार प्रति में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न – उपरोक्तानुसार 13 पृष्ठ

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023–24/अंके पंचम/ 1223-27 दिनांक : 22-6-2023

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत अजमेर।
4. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम अजमेर देकर लेख हैं कि सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण प्रश्यू करें तथा अग्रिम कार्यवाही करावें।

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 1

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 1 की अनुपालना के क्रम में

प्रमाणित किया जाता हैं कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 2

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 2 की अनुपालना के क्रम में

प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जंन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 3

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 3 की अनुपालना के क्रम में

याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं अनेक संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 4

Name of Project:	Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)
Proposal No. :	FP/RAJ/Water/13429/2015

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 4 की अनुपालना के क्रम में

प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पेड़ों/उपलब्ध वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

<u>एनेक्सचर – 5</u>

Name of Project:	Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)
Proposal No. :	FP/RAJ/Water/13429/2015

प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 5 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस पास मज़दूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 6

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 6 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत् मज़दूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हों।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 7

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 7 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

<u>एनेक्सचर – 8</u>

Name of Project:	Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)
Proposal No. :	FP/RAJ/Water/13429/2015

शर्त संख्या – 8 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 9

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

प्रमाण पत्र

शर्त संख्या – 9 की अनुपालना के क्रम में

प्रमाणित किया जाता हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन भूमि द्वारा शून्य से दस वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षा रोपन एवं दस वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेब पोर्टल O.O.S.M.F.W.P. (Online Submission and Monitoring of forest and Wild Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई–चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा राशि रू. 193857.00 जमा करवा दी गई हैं।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

<u>एनेक्सचर – 10</u>

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

शर्त संख्या – 10 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010 CAMPA दिनांक 09.06.2015 में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राद्यिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल O.O.S.M.F.W.P. द्वारा सर्जित ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यू.टी.आर. संख्या/एन.ई.एफ.टी. नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण प्रेषित की जाए तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 11

Name of Project:	Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)
Proposal No. :	FP/RAJ/Water/13429/2015

शर्त संख्या – 11 की अनुपालना के क्रम में

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती हैं तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

<u>एनेक्सचर – 12</u>

Name of Project:	Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)
Proposal No. :	FP/RAJ/Water/13429/2015

शर्त संख्या – 12 की अनुपालना के क्रम में

राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम अजमेर

एनेक्सचर – 13

Name of Project: Diversion of 0.0578 ha. of forest land in favour of Executive Engineer PHED City Dn I Ajmer for construction of Jinda Chilla Madar Water Supply (Laying of Water Supply line in Ajmer Rajasthan)

Proposal No. : FP/RAJ/Water/13429/2015

शर्त संख्या – 13 की अनुपालना के क्रम में

भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पर में अक्षरशः प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं जारी स्वीकृति की प्रतियॉ स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

फोन नं. 0145–2628476

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023–24/अंके तृतीय/ 953–57

दिनांक : 8-6-2023

उप वन संरक्षक,
वन विभाग, अजमेर

विषयः– Diversion of 0.0578 hactre of providing, laying and jointing, testing and commissioning of pipe line, construction of 2 Nos. RCC GLR of capacity of 100 KL construction of Pump house with EMI works with electric sub station on Single Responsibility basis turnley job for water supply scheme Chilla-Jinda Madar Shah, Ajmer (Rajsathan Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No. FP/RJ/WATER/13429/2015

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के कार्यादेश क्रमांक 12325–328 दिनांक 23.09.2013 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक 5511–5515 दिनांक 22.12.2022 एवं 3715 दिनांक 28.04.2023 तथा डी.सी.ओ. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 1850 दिनांक 31.05.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र उक्त प्रकरण में श्रमिक दर में बढ़ोतरी होने से वृक्षारोपन हेतु अंतर राशि जमा कराने हेतु इस कार्यालय को लेखन किया गया था। अतः पत्र में उल्लेखित मांग पत्र अनुसार संशोधित अंतर राशि जमा कराने का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैं:–

क्र. सं.	राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (49) वन/2016 जयपुर द्वारा दिनांक 29.12.2016 को जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि(रु.)	वि.वि.
01	शर्त संख्या 09 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किये जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी। परिभ्राषित वन भूमि पर (100 वृक्षों हेतु) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान मज़दूरी दर 259/– अनुसार हैं। न्यूनतम वृक्षारोपण 100 वृक्षों हेतु प्रस्तावित हैं। पूर्व में प्रस्तावित प्राक्कलन 230000/– में नवीन श्रमिक दरों 259/– अनुसार राशि की गणना की गई हैं। कुल राशि 279680/–में से पूर्व में जमा राशि 105000/– को घटाया जाने उपरान्त अंतर राशि 174680/– जमा करावें।	174680/–	उप वन संरक्षक, वन विभाग अजमेर के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी मांग पत्र को ई–चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 राशि रू. 193857.00 जमा करवा दिया गया हैं। जिसकी सूचना पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 5511–5515 दिनांक 22.12.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। (प्रति संलग्न)
02	शर्त संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई दरों के अनुसार धन राशि नियमानुसार जमा कराई जानी हैं। वर्तमान में दिनांक 06.01.2022 से भारत सरकार द्वारा एन.वी.पी. की दरों में बढ़ोतरी किये जाने से नवीन राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई–चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई–चालान की छायाप्रति जमा की ई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित	19177/–	
	क्र.सं. 01 से 02 का योग (रुपये)	193857.00	

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023–24/अंके पंचम/ 953–57

दिनांक : 8-6-2023

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत अजमेर।
4. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम अजमेर देकर लेख हैं कि सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण प्रश्यू करें तथा अग्रिम कार्यवाही करावें।

अधिशाषी अभियन्ता

D:\Main Folder\2023-24\Auditor V\Auditor V 2023-24.doc

फोन नं. 0145—2628476

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023—24/अंके तृतीय/ 473-78

दिनांक : 10-5-2023

उप वन संरक्षक,
वन विभाग, अजमेर

विषयः— Diversion of 0.0578 hactre of providing, laying and jointing, testing and commissioning of pipe line, construction of 2 Nos. RCC GLR of capacity of 100 KL construction of Pump house with EMI works with electric sub station on Single Responsibility basis turnley job for water supply scheme Chilla-Jinda Madar Shah, Ajmer (Rajsathan Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No. FP/RJ/WATER/13429/2015

संदर्भः— क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के कार्यादेश क्रमांक 12325—328 दिनांक 23.09.2013 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक 5511—5515 दिनांक 22.12.2022 एवं 3715 दिनांक 28.04.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र उक्त प्रकरण में श्रमिक दर में बढ़ोतरी होने से वृक्षारोपन हेतु अंतर राशि जमा कराने हेतु इस कार्यालय को लेखन किया गया था। अतः पत्र में उल्लेखित मांग पत्र अनुसार संशोधित अंतर राशि जमा कराने का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैं:—

क्र. सं.	राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (49) वन/2016 जयपुर द्वारा दिनांक 29.12.2016 को जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि	वि.वि.
01	शर्त संख्या 09 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किये जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearence Portal) द्वारा सृजित ई—चालान से जमा की जायेगी। परिभ्राषित वन भूमि पर (100 वृक्षों हेतु) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान मज़दूरी दर 259/— अनुसार हैं। न्यूनतम वृक्षारोपण 100 वृक्षों हेतु प्रस्तावित हैं। पूर्व में प्रस्तावित प्राक्कलन 230000/— में नवीन श्रमिक दरों 259/— अनुसार राशि की गणना की गई हैं। कुल राशि 279680/—में से पूर्व में जमा राशि 105000/— को घटाया जाने उपरान्त अंतर राशि 174680/— जमा करावें।	174680/—	उप वन संरक्षक, वन विभाग, अजमेर के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी मांग पत्र को ई—चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 राशि रू. 193857.00 जमा करवा दिया गया हैं। जिसकी सूचना पूर्व में इस कार्यालय केपत्रांक 5511—5515 दिनांक 22.12.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। (प्रति संलग्न)
02	शर्त संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई दरों के अनुसार धन राशि नियमानुसार जमा कराई जानी हैं। वर्तमान में दिनांक 06.01.2022 से भारत सरकार द्वारा एन.वी.पी. की दरों में बढ़ोतरी किये जाने से नवीन राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई—चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई—चालान की छायाप्रति जमा की ई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित	19177/—	
	क्र.सं. 01 से 02 का योग	193857.00	

संलग्न — उपरोक्तानुसार

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय सिंह)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2023—24/अंके पंचम/ 473-78

दिनांक : 10-5-2023

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत अजमेर।
4. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम अजमेर।

अधिशाषी अभियन्ता

फोन नं. 0145–2628476

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2022–23/अंके तृतीय/ 5511 - 5515 दिनांक : 22/12/2022

उप वन संरक्षक,
वन विभाग, अजमेर

विषयः– Diversion of 0.0578 hactre of providing, laying and jointing, testing and commissioning of pipe line, construction of 2 Nos. RCC GLR of capacity of 100 KL construction of Pump house with EMI works with electric sub station on Single Responsibility basis turnley job for water supply scheme Chilla-Jinda Madar Shah, Ajmer (Rajsathan Forest Diversion Proposal Under Forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No. FP/RJ/WATER/13429/2015

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के कार्यादेश क्रमांक 12325–328 दिनांक 23.09.2013 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके कार्यालय का सन्दर्भित पत्र उक्त प्रकरण में श्रमिक दर में बढ़ोतरी होने से वृक्षारोपन हेतु अंतर राशि जमा कराने हेतु इस कार्यालय को लेखन किया गया था। अतः पत्र में उल्लेखित मांग पत्र अनुसार संशोधित अंतर राशि जमा कराने का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार प्रेषित हैं:–

क्र. सं.	राज्य सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (49) वन/2016 जयपुर द्वारा दिनांक 29.12.2016 को जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि	वि.वि.
01	शर्त संख्या 09 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किये जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी। परिभ्राषित वन भूमि पर (100 वृक्षों हेतु) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्तमान मजदूरी दर 259/– अनुसार हैं। न्यूनतम वृक्षारोपण 100 वृक्षों हेतु प्रस्तावित हैं। पूर्व में प्रस्तावित प्राक्कलन 230000/– में नवीन श्रमिक दरों 259/– अनुसार राशि की गणना की गई हैं! कुल राशि 279680/–मे से पूर्व में जमा राशि 105000/– को घटाया जाने उपरान्त अंतर राशि 174680/– जमा करावें।	174680/–	उप वन संरक्षक, वन विभाग, अजमेर के पत्रांक 9062 दिनांक 28.09.2022 द्वारा जारी मांग पत्र को ई–चालान संख्या 5313429006 दिनांक 15.12.2022 राशि रू. 193857.00 जमा करवा दिया गया हैं। (प्रति संलग्न)
02	शर्त संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई दरों के अनुसार धन राशि नियमानुसार जमा कराई जानी हैं। वर्तमान में दिनांक 06.01.2022 से भारत सरकार द्वारा एन.वी.पी. की दरों में बढ़ोतरी किये जाने से नवीन राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई–चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई–चालान की छायाप्रति जमा की ई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित	19177/–	
	क्र.सं. 01 से 02 का योग	193857.00	

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(एस.एल.जीनगर)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

(अजय चित्तौड़ा) उप वन संरक्षक अजमेर 100042

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2022–23/अंके पंचम/ 5511 - 5515 दिनांक : 22/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत अजमेर।
4. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम अजमेर को देकर लेख है कि उप वन संरक्षक अजमेर कार्यालय में वयक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वर्णित कार्यवाही सम्पादित करावें।

अधिशाषी अभियन्ता

D:\Main Folder\2022-23\Auditor V\Auditor V 2022-23.docx

ECS Slip Details

DDO Name	: 9409(XEN.PHED CITY DIV. I NALGODAM AJMER)	Month / Year	: December / 2022
Bill Name	: 4215 MNP Urban	Bill No - Date	: 43167027 - 15/12/2022
Cash Amount	: 193857.00	Gross Amount	: 215181.00
Value Date (Process Date)	: 21/12/2022	TV NO.	: 91068
Soft Copy No	: EPV80114001586201054202212211184	TV Date	: 21/12/2022

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर
100042

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
नगर खण्ड–प्रथम, अजमेर

nline Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

p

: on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
: Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area;
/ : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉Proposals received on or after 15th July 2014 ◯All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Jaipur **Select State :** Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : ◉Paid ◯Unpaid ◯All

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 13429

SEARCH

sal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
WATER/13429/2015 report.aspx? /RJ/WATER/13429/2015) hilla Madar Water	WATER134292015006	29 Dec 2016	CA: 174680/-, Addl CA: 0/-, PCA: 0/-, CAT: 0/-, Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-, NPV: 19177/-, Total :193857/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Dec 2022; Bank Name : Union Bank Of India; Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan); Challan Generated On : 15 Dec 2022; Transaction Date : 22 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121220221633255105_FPRJWATER134292015_User_Fund_Demanded_79 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=WATER134292015006)
WATER/13429/2015 report.aspx? /RJ/WATER/13429/2015) hilla Madar Water	WATER134292015427	29 Dec 2016	CA: 105000/-, Addl CA: 0/-, PCA: 0/-, CAT: 0/-, Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-, NPV: 36183/-, Total :141183/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Apr 2018; Bank Name : Corporation Bank; Mode of Payment : Corporation Bank (Challan); Challan Generated On : 17 Apr 2018; Transaction Date : 20 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/4111012281216LJBKXforestdemand001.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallan.aspx?pid=WATER134292015427)

nt Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility nt (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in